तत्काल/अत्यावश्यक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/2014/214/3210 भोपाल, दिनांकः 12.12.2014

–:: आदेश ::–

प्रदेश में उत्पादित कृषि जिन्सो के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य किसानों को दिलाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जायेः–

1– कृषि उपज मंडी उपविधि सन 2000 में अधिसूचित कृषि जिन्स के सौदा पत्रक के आधार पर विक्रय के प्रावधान है तथा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/उपविधि संशो/2014/1775 दिनांक 29.08.2009 के द्वारा उपविधि की कडिका (2)(ड) एवं उपविधि की कडिका 16(4) के परन्तुक में संशोधन किये गये है जो कि दिनांक 16.09.2009 से उपविधि सन 2000 में प्रतिस्थापित होकर आबद्धकर है। (सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की प्रति संलग्न है)

2– कतिपय रूप से राज्य शासन स्तर पर यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि मंडी समितियों के द्वारा उपविधियों के उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान अनुसार सौदा पत्रक द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्सों का विक्रय सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है।

3– अतः निर्देशित किया जाता है कि :–

3.1– मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल या क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि जिन्स का सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय होगा वह मूल मंडी प्रांगण में तत् दिनांक एवं समय को संदर्भित अधिसूचित जिन्स के मॉडल भाव से कम पर कदापि संपादित नही कराया जायेगा।

3.2– उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर मूल मंडी प्रांगण में संदर्भित कृषि जिन्स के मॉडल भाव के साथ साथ आस–पास की प्रमुख मंडियों के मॉडल भाव भी किसानों की सुविधा के लिये प्रदर्शित किये जायेगें।

3.3– उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर दैनिक अधिसूचित कृषि जिन्स का विक्रय का कार्य मंडी के अधिकृत कर्मचारी की उपस्थिति में ही सम्पन्न होगा।

3.4– मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्र/बोर्ड या राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर अधिसूचित कृषि जिन्स के विक्रय की अनुमति नहीं है। अतः मंडी अधिनियम एवं उपविधियों के प्रावधानों को पूर्णतः एवं स्पष्टता के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाये।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 2014 / 214 / 3211 भोपाल, दिनांकः 12.12.2014

प्रतिलिपिः–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– संयुक्त / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय .... को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

5– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.................................... को उपरोक्त निर्देशों के तत्काल एवं सतत् पालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

7/8/2009 बोर्ड,

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़ भोपाल

क./बी–6/नियमन/उपविधि संशो./214/1775 भोपाल, दिनांक 29/08/2009

// आदेश //

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क. 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश की मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.09.09 तक "मण्डी समिति के लिये उपविधि सन्–2000" में निम्नानुसार संशोधन अनिवार्य रूप से स्थापित करें–

(1) उपविधि कंडिका (2)(ड़) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका (2)(ड़) स्थापित की जावे, अर्थात–

"(2)(ड़) "सौदा" से अभिप्रेत है मण्डी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में जो मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु नही आई हो किन्तु मण्डी क्षेत्र के मूल मण्डी के बाहर के किसी स्थान के विक्रेता द्वारा नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मण्डी समिति के माध्यम से विक्रय की जाए और मण्डी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण/अथवा मण्डी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर सम्पन्न कराया जाए।"

(2) उपविधि की कंडिका 16(4) के "परन्तुक" के स्थान पर निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात–

"16(4) परन्तु मण्डी क्षेत्र के भीतर लेकिन मूल मण्डी क्षेत्र के बाहर का विक्रेता अपनी विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मण्डी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में नही ला पाता है और नमूने के आधार पर ऐसी कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है, तब केवल बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज का मण्डी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर नमूने के आधार पर घोष विक्रय कराया जावेगा और ऐसे विक्रय के संबंध में सचिव मण्डी समिति द्वारा प्ररूप–दो में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जायेगा।"

विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपविधि को उपरोक्तानुसार संशोधित करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 16.09.2009 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होंगे।"

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परीपत्र–1

क्र./बी–6/नियमन/1–3/उपविधि संशो./09/1776 भोपाल, दिनांक 29/08/2009
प्रतिलिपिः–

(1) उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से अवगत कराए।

(2) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ...(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। विनिर्दिष्ट कालावधि में उपरोक्त उपविधि संशोधन नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल